*Health and Well-Being of Children and Adolescent* *https://www.kdpublications.in*
*ISBN: 978-93-94570-01-6*

# 8. Introduction to the Right of Children "Humanity has to do its best for the Child"

**डॉ॰ जनक रानी**

पद – प्राचार्या एम. एम. शिक्षण महाविद्यालय,
फतेहाबाद (हरियाणा).

एक बालक जब इस धरा पर जन्म लेता है, तो वह कई सपने संजोता है, जिसे पूरा करने के लिए वह अथक प्रयास करता है। इन प्रयासों के साथ उसके कुछ अधिकार भी जुड़े होते है, जिससे वह भावानात्मक रूप से जुड़ा रहता है। "बालक अधिकार बालक के मानव अधिकार से सम्बन्धित अधिकार है जो बालक को सरंक्षण व सुरक्षा प्रदान करते है।"

**The 1989 Convention on the Right of Child (CRC)**: बाल अधिकार माता–पिता तथा मानव से जुड़े हुए अधिकार है। बाल अधिकार में मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सेवा, बाल विकास, बालक की स्वतन्त्रता इत्यादि शामिल है।

- सर विलियम ब्लैकस्टोन (1965–9) ने कहा था कि "बालक के प्रति माता–पिता का उत्तरदायित्व है रख–रखाव, सरंक्षण तथा शिक्षा।"
- Universal Declaration of Human Right (1948) in Article 25(2): बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कहा कि विशेष सरंक्षण व रख–रखाव बालक अधिकार में आता है।
- United Nations Educational Guides: प्रावधान, सरंक्षण व सहभागिता

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि बाल अधिकार में सुरक्षा और स्वतन्त्रता का प्रावधान है।

बाल अधिकार और युवा अधिकार क्या समान है या नही है निम्न अन्तर से समझा जा सकता है :–

| क्रमांक | युवा अधिकार | बाल अधिकार |
|---|---|---|
| 1 | मतदान का अधिकार – भारतवर्ष में 18 वर्ष के बालक को मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। | मतदान का अधिकार, बाल अधिकार में नही आता। |
| 2 | विवाह का अधिकार – व्यस्क बालक को विवाह करने का अधिकार प्राप्त है। | अव्यस्क बालक विवाह नही कर सकता, कानूनी रूप से बाल विवाह अपराध है। |
| 3 | अल्कोहल खरीदना – व्यस्क बालक एक सीमा में रहकर अल्कोहल खरीद सकता है। | अव्यस्क ऐसा नही कर सकता। |
| 4 | सहसम्बन्ध – युवा बालक सहसम्बन्ध बना सकता है। | अव्यस्क बालक सहसम्बन्ध नही बना सकता है। |
| 5 | वैतनिक रोजगार – युवा बालक वैतनिक रोजगार में जुड़ सकता है। | अव्यस्क बालक को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन मजदूरी करके धन नही कमा सकता। |

### 8.1 बाल अधिकार के सिन्द्धांत:

बाल अधिकार में बालक के विकास पर ध्यान केन्द्रित होता है। बालक अधिकार के सन्दर्भ में निम्न सिन्द्धांत है :–

1. बिना भेदभाव का सिन्द्धांत – यह सिन्द्धांत बताता है कि बिना किसी भेदभाव के विभिन्न परिस्थियों में भी बालक को अपना सम्पूर्ण विकास करने का अधिकार है। राष्ट्रीयता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सभी बालकों का समान है।
2. बालक की रूचि को प्राथमिकता – बाल अधिकार में बालक की रूचि को ध्यान में रखकर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3. आगे बढने तथा विकास का सिन्द्धांत – किसी भी बालक को अपने देश में रहकर आगे बढना तथा स्व विकास का अधिकार भी मुख्य सिन्द्धांत में शामिल है।
4. बालक की विचारधारा – एक बालक को अपने विचारों को प्रकट करने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। वह अपने विचारों को स्वतन्त्र रूप में प्रकट कर सकता है। देश की कुश्ल नागरिकता का विकास बालक की विचारधारा ही है।

**8.2 बाल अधिकार – Miracle Foundation ने १२ बाल अधिकारों का वर्णन किया है :**

1. पारिवारिक वातावरण में रहने का अधिकार – प्रत्येक बालक को अने परिवार में रहने का अधिकार प्राप्त है। परिवार में रहकर वह अपनत्व की भावना का विकास करता है।
2. स्थिरता, प्यार, पोषण का अधिकार – पारिवारिक वातावरण में बालक को स्थिरता, प्यार व पोषण का अधिकार प्राप्त है।
3. सन्तुलित आहार व स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार – प्रत्येक बालक को सन्तुलित आहार तथा स्वास्थ्य की देखभाल का अधिकार है।
4. स्वच्छ पानी , बिजली व सुरक्षित वातावरण – प्रत्येक बालक को स्वच्छ पानी , बिजली व सुरक्षित वातावरण का अधिकार प्राप्त है। वह देश में रहकर स्वच्छ पानी , बिजली व सुरक्षित वातावरण प्राप्त कर सकता है।
5. शिक्षा की गुणवत्ता का अधिकार – देश के बालक देश का भविष्य है, यदि बालक का शिक्षा स्तर उच्च होगा तो वह निसन्देह देश का विकास कर सकेगा। इसलिए प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
6. समान अवसरों की समानता का अधिकार – बालक देश के भावी निर्माता है, प्रत्येक बालक को आगे बढने का सुअवसर मिले, इसलिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसरों की समानता का अधिकार प्राप्त है।
7. दिशा निर्देश का अधिकार – प्रत्येक बालक को अपने सीनियर से दिशा निर्देश का अधिकार भी प्राप्त है।
8. निर्णयों में सहभागिता व सुनवाई का अधिकार – प्रत्येक बालक को कोई भी निर्णय, जो उसको प्रभावित करता है, सहभागिता व सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।
9. चुस्त व जिम्मेवार नागरिकता का अधिकार – देश में रहने वाले हर नागरिक को जिम्मेवार तथा चुस्त नागरिकता का अधिकार प्राप्त है।
10. गाली गलौच व नजरअंदाजी में सुरक्षा का अधिकार – कोई भी व्यक्ति किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करता है या दण्ड प्रावधान में नजरअंदाज करता है तो सुरक्षा लेने का प्रावधान है।
11. स्वतन्त्रता व गौरव का अधिकार – प्रत्येक बालक को देश की स्वतन्त्रता व गौरव का अधिकार प्राप्त है।
12. धार्मिक विकास का अधिकार – भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की आजादी प्राप्त है। वह किसी भी धर्म को अपनाकर उसके नियमों की पालना कर सकता है।

## 8.3 United Nations Convention on the Right of Child (UNCRC) के अनुसार बाल अधिकारः

(A) उत्तरजीविका के अधिकार :–

1. जन्म का अधिकार
2. भोजन, आवास व कपड़े की न्यूनतम प्राप्ति का का अधिकार
3. सम्मान के साथ रहने का अधिकार
4. स्वास्थ्य देखभाल, पानी, अच्छा भोजन, साफ व सुरक्षित वातावरण का अधिकार
    - प्रत्येक बालक को जन्म का अधिकार प्राप्त है, वह जन्म लेते ही उस देश का नागरिक बन जाता है।
    - भारतवर्ष में प्रत्येक बालक को भोजन, आवास व कपड़े की सुविधा का भी अधिकार प्राप्त है।
    - देश में रहने वाला हर नागरिक देश के लिए सम्माननीय है, फलतः वह देश में आदर भाव प्राप्त करता है।
    - प्रत्येक बालक को देश से स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पानी, पोष्टिक भोजन व सुरक्षित वातावरण में रहने का अधिकार प्राप्त है।

(B) सुरक्षा का अधिकार :–

1. हिंसा से सुरक्षा का अधिकार
2. नजरअंदाजी से सुरक्षा का अधिकार
3. शारीरिक व सैक्स प्रताड़ना से सुरक्षा का अधिकार
4. नशीली दवाओं के सेवन से सुरक्षा का अधिकार
    - देश के बालक को अगर वह किसी भी रूप में हिंसा का शिकार हो रहा है तो वह सुरक्षा प्राप्त का सकता है।
    - किसी भी बालक के अधिकारों का हनन हो रहा है या नजरअंदाजी हो रही है तो वह सुरक्षा की मांग कर सकता है।
    - शारीरिक प्रताड़ना की अवस्था में वह कानूनी रूप से सुरक्षा ले सकता है।
    - किसी भी कारणवंश कोई भी बालक ड्रग्स का शिकार होने लगे तो सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए पुर्नवास केन्द्र है।

(C) सहभागिता का अधिकार :–

1. विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार
2. भावों को अभिव्यक्त करने का अधिकार
3. संगति में रहने की स्वतन्त्रता का अधिकार
4. सूचना का अधिकार

5. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्णयों में सहभागिता का अधिकार
    - एक बालक को अपने विचारों की स्वतन्त्र रूप से प्रकट करने की अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है।
    - प्रत्येक बालक अपने देश में रहकर अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है।
    - एक बालक अपने सहचर्य समूह में रह सकता है। उसे समूह में रहने का स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त है।
    - एक बालक देश में रहकर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। शिक्षा से सम्बन्धित, चिकित्सा से सम्बन्धित, पर्यावरण से सम्बन्धित इत्यादि।
    - देश का बालक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्णयों में सहभागिता ले सकता है।

(D) विकास का अधिकार :–

1. शिक्षा का अधिकार
2. सीखने का अधिकार
3. आराम व खेलने का अधिकार
4. भावात्मक, मानसिक व शारीरिक सुरक्षा का अधिकार
    - देश में रहने वाले प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। वह किसी भेदभाव के शिक्षा को प्राप्त का सकता है।
    - देश के प्रत्येक बालक को सीखने का अधिकार प्राप्त है। वह जिस क्षेत्र में अपनी दक्षता प्राप्त करना चाहता है, कर सकता है।
    - बालक को खेलने का भी अधिकार प्राप्त है, वह आराम का भी अधिकारी है।
    - प्रत्येक बालक देश में भावात्मक, मानसिक व शारीरिक रूप से सुरक्षित है। सुरक्षा का अधिकार सर्वप्रथम है।

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि स्वतन्त्र भारत में एक बालक को कुछ अधिकार प्राप्त है। यह वह अधिकार है जो एक बालक का सम्पूर्ण विकास करते है। यद्यपि अधिकार क्षेत्र बड़ा है तथापि बालक के कुछ उत्तरदायित्व भी है, जो उसे देश के प्रति जिम्मेवार नागरिक होने के प्रति पूरे करने चाहिए। एक बालक को अपने कर्तव्यों को कभी भी नजरअंदाज नही करना चाहिए। स्वतन्त्रता पूर्वक मिले हुए अधिकारों की उल्लघना नही होनी चाहिए।

"देश देता है सब कुछ – हम भी तो देश को कुछ दे।" अर्थात् अधिकार व कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनो पहलू साथ–2 चलने चाहिए।